न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश सहारण, आर.ए.एस.

प्र.सं. 82/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/8

1. गिरीराज पुत्र इन्द्रदान, जाति चारण, निवासी सूरतपुरा, तहसील व जिला चुरू

बनाम

1. ओम देवी पत्नी काशीराम, जाति नाई निवासी कालवासिया, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. मनीता रानी पुत्री काशीराम, जाति नाई निवासी कालवासिया, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. मांगीलाल पुत्र काशीराम, जाति नाई निवासी कालवासिया, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22(3) राजस्थान उपनिवेशन(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में राजकीय भूमि के आवंटन एवं विक्रय), नियम 1975

उपस्थिति :–

1. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री योगेन्द्र कुमार, अप्रार्थी सं. 1 से 3
3. तहसीलदार अनूपगढ़, अप्रार्थी सं. 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. हस्तगत प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर में दिनांक 10.01.2023 को दायर (11/23) हुआ था। क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण पत्रावली जिला कलक्टर न्यायालय अनूपगढ़ को हस्तांतरित की गयी तथा इसके उपरान्त श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अनूपगढ़ के कार्यालय आदेश क्रमांक/रीडर/जि.क.अ./2024/124 दिनांक 19.02.2024 के द्वारा पत्रावली(105/23) श्रीमान् जिला कलक्टर अनूपगढ़ के न्यायालय से हस्तांतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई हैं। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर(82/2024) की गयी।
2. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अप्रार्थी के पति/पिता स्वः काशीराम पुत्र बिहारीलाल, जाति नाई, निवासी कालवासिया, तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर को सर्वप्रथम चक 5 एमएलके, तहसील घड़साना के मु.नं. 52/57 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था जो रकबा वन विभाग के तारबंदी में होने के कारण उक्त रकबा आवंटित नहीं किया गया। इसके पश्चात काशीलराम को चक एमएसआर तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 330/425 में 24.05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया मगर उक्त भूमि का आवंटन पुनः निरस्त कर दिया गया था। इसके पश्चात काशीराम द्वारा मा. उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट पिटिशन प्रस्तुत की गई जिसका निस्तारण दिनांक 14.01.1999 को कर दिया गया जिसके आदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा स्वः काशीराम को ग्राम अनूपगढ़ ए के खसरा सं. 295/443, 296/444, 294/444 में कुल 24.07 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जो कि विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित था परन्तु उसे राजस्व मंत्री ने विशेष आवंटन से मुक्त कर दिया था। उक्त आवंटित रकबा वर्तमान में चक 1 एम.एस.आर. में पैमुद हुआ है तथा मूल आवंटी काशीराम के देहांत होने के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम विरास्तन दर्ज हो चुका हैं। काशीराम ने अपने जीवनकाल में व उसकी मृत्यु पश्चात उनके विधिक वारिसान ने उक्त आवंटित रकबा का वास्तविक रूप से कभी कब्जा प्राप्त नहीं किया अथवा न ही उक्त रकबा की कभी काश्त की गई। मूल आवंटी काशीराम एक सद्भावी का[illegible] भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति नहीं था बल्कि काशीराम स्वयं नाई की दुकान सं[illegible]त [illegible] था तथा उसके नाम चक 22 एम.जे.डी हनुमानगढ़ में 2 बीघा भूमि थी जिसे उसके द्वारा विक्रय कर दी गई थी एवं चक कालवासिया में भी 10 बीघा भूमि स्थित थी। [illegible] प्रकार काशीराम द्वारा तत्समय अपने आप को एक भूमिहीन काश्तकार दर्शाकर एवं इस संबंध में मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि को आवंटित करवा लिया गया था जो [illegible] शर्त सं. 20 के भंग किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थीगण द्वारा काफी लम्बे समय से उक्त आवंटित आराजी को काश्त नहीं किया जा रहा है जिसका कारण भूमि का अनकमाण्ड होना बताया जा रहा है परन्तु इतने लम्बे अंतराल से बारिश के माध्यम से भी भूमि में काश्त नहीं करना काफी हैरान करने वाला प्रश्न है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लघंन किये जाने से उनके पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आवंटित रकबा मण्डी/नगरपालिका क्षेत्र की परिधि में तथा मास्टर प्लान 2023 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.06.06 16:34:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़

उक्त भूमि विभिन्न प्रयोजनार्थ यथा महाविद्यालय/व्यवसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, आवासीय के रूप में चिन्हित कर दर्शाया गया है जिस हेतु भविष्य में मण्डी विस्तार एवं विकास हेतु राजकीय भूमि की अत्यंतिक आवश्यक्ता रहेगी ऐसे में उक्त भूमि वैसे भी आवंटित नहीं की जा सकती थी तथा जो की गई है वह नियम विरूद्ध है। उक्त प्रकरण में नगरपालिका, अनूपगढ़ द्वारा खातेदारी जारी करने हेतु सहमति स्परूप अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया है वल्कि खातेदारी भूमि होने से नगर नियोजन विभाग राय अनुसार भू–उपयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं होने का निर्देश दिया गया हैं। काशीराम द्वारा अपने आप को भूमिहीन बताकर झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि छल–कपट से राजकीय बहुउपयोगी भूमि आवंटित करवा ली गई है, जिसकी खातेदारी अभी अप्रार्थीगण के नाम से जारी होना शेष है जो विधि अनुसार जारी नहीं की जा सकती हैं अर्थात उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण को खातेदारी दी जाने या यथावत उनके नाम रखने से राज्य पक्ष को भारी नुकसान होगा एवं जन–उपयोगी भूमि अप्रार्थीगण को आवंटित हो जाने से आमजन को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में ना हो पायेगी। काशीराम के नाम से 22 एम.जे.डी. हनुमानगढ़ के खाता सं. 36 में दर्ज कुल 2.530है. भूमि में से 1/5 हिस्सा यानि 0.506है. कृषि भूमि दर्ज थी जिसे उसके द्वारा दिनांक 19.04.2011 को कालूराम पुत्र बीरबलराम, जाति जाट निवासी मानूका को विक्रय कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त काशीराम के पास उसके पैतृक गांव कालवासिया, सादुलशहर में भी कुल 10 बीघा भूमि स्थित थी जिस कारण मूल आवंटी काशीराम तत्समय भूमि श्रेणी का कृषक ही नहीं था। इस प्रकार काशीराम द्वारा मिथ्या शपथ–पत्र प्रस्तुत कर सही तथ्य छुपाकर आवंटन नियमों का उल्लंघन कर उक्त रकबा आवंटित करवा लिया गया है जो नियमविरूद्ध आवंटित होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने योग्य हैं। चक 1 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 295/443 कि.नं. 5,6,7,13ता19,21 की कुल 12.02बीघा एवं मु.नं. 296/444 के कि. नं. 7,19,21,22 की कुल 2.05 बीघा एवं मु.नं. 294/444 के कि.नं. 16 ता 25 की कुल 10 बीघा यानि कुल 24.07 बीघा आवंटित भूमि को निरस्त कर रकबा पुनः बहक राज्य सरकार दर्ज करने हेतु आदेशित करने के लिए निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्रांक/रीडर/कोर्ट/2024/600 दिनांक 14.05.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट भूमि अप्रार्थीगण के नाम से गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि तीनों गैर खातेदारान की देखरेख में है। मौका पर उक्त रकबा में कोई भी फसल कास्त नहीं है। मौका पर कुछ रकबे में झाड़–झकाड़ खड़े हैं।

4. अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पिता/पति काशीराम पुत्र बिहारीलाल को चक 5 एम.एल.के तहसील घड़साना का मु.नं. 52/57 की 25 बीघा भूमि आवंटन होना स्वीकार है लेकिन उक्त आवंटित भूमि वन विभाग की होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पति/पिता को कब्जा भूमि नहीं दिया गया और बदले में वैकल्पिक तौर पर चक 6 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 330/425 का 25.05 बीघा भूमि आवंटित की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पति/पिता काशीराम काबिज काश्त हो गए लेकिन 6 एम.एस.आर. में आवंटित उक्त भूमि वन विभाग के नाम होने के कारण उक्त वैकल्पिक आवंटन की भूमि दिनांक 15.02.1997 को खारिज कर दी गई। जिस पर काशीराम ने मा. राजस्थान उच्च न्यायायल में एसबी सिविल रिट पिटीशन नं. 1453/1997 पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किया कि जब तक पिटीशनर काशीराम को वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं कर दी जाती तब तक 6 एम.एस.आर. की भूमि से बेकब्जा नहीं किया जावे तथा उसके बाद दिनांक 14.01.1999 को रिट पिटीशन निस्तारित करते हुए आदेश दिया कि पहले पिटशनर/आवंटी काशीराम को वैकल्पिक भूमि का आवंटन किया जावे फिर उसके बाद 6 एम.एस.आर. की भूमि का कब्जा लिया जावे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत माननीय राजस्व(उपनिवेशन) मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 26.07.2000 के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पति/पिता काशीराम को तहसील अनूपगढ़ के ग्राम 1 एम.एस.आर. का प.नं. 295/443 कि.नं. 5 से 7, 13 से 19, 21 से 25 का 12 बीघा 2 बिस्वा, प.नं. 296/444 का कि.नं. 7,19,21,22 का कुल 2 बीघा 5 बिस्वा एवं प. नं. 294/444 के कि.नं. 16 से 25 का कुल 10 बीघा कुल 24 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि आवंटित की गई और अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पति/पिता को कब्जा भूमि दे दिया और राजस्व रिकार्ड में आवंटन का अमलदरामद कर दिया। उक्त आवंटन उपरांत अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पति/पिता काशीराम 1 एम.एस.आर. में आवंटित उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होगए। इसके बाद श्रीमान् अति. कलैक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.05.2001 के प्रकाश में अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पति/पिता को उक्त आवंटित भूमि रकबा राज दर्ज कर दी गई जिस पर काशीराम द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 2414/2001 पेश की गई जो दिनांक 19.05.2015 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.06.06 16:34:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

स्वीकार की जाकर श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलैक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 31.05.2001 अपास्त कर दिया तथा रकबा राज दर्ज करने का आदेश अपास्त कर दिया गया, भूमि पुनः आवंटी काशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गयी। राज्य सरकार द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 2414/2001 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2015 के खिलाफ मा. उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल स्पेशल अपील(रिट्स) नं. 685/2015 पेश की जो कि दिनांक 30.10.2015 को खारिज फरमा दी गई। इसके बाद राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग के संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील(रिट्स) नं. 685/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 के के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी. दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 2414/2001 एवं डी.बी. सिविल स्पेशल अपील(रिट्स) नं. 685/2015 में उक्त भूमि आवंटन को विधिसम्मत् एवं उचित माना हैं। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पति/पिता मूल आवंटी काशीराम का देहान्त हो चुका हैं जिनके देहान्त के उपरांत उक्त कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज होने का तथ्य स्वीकार है, उक्त भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का है और तमामम बकाया राशि जमा करवा दी गई है और खातेदारी की कार्यवाही सक्षम स्तर पर लम्बित हैं। उक्त आवंटित शुदा भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पति/पिता अपने जीवनकाल तथा उनके देहान्त के उपरांत अप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी के पति/पिता नाई की दुकान संचालित नहीं करते थे। काशीराम सद्भावी काश्तकार एवं भूमिहीन काश्तकार थे और ना ही काशीराम ने मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूमि आवंटित करवाई हैं। ना ही शर्त सं. 20 को भंग किया हैं। प्रार्थी गिरीराज द्वारा पूर्व में श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष इन्हीं तथ्यों के आधार पर झूठी शिकायत की थी जिसमें श्रीमान् जिला कलक्टर महादय श्रीगंगानगर द्वारा जांच करके शिकायत निराधार मानकर रिपोर्ट श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर को भिजवायी गयी तदुपरांत श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर के द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी सनद जारी करने की स्वीकृति दिनांक 27.01.2023 को प्रदान की गई। इसलिए हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही या सुनवाई नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र सुनवाई योग्य नहीं हैं। प्रार्थी गिरीराज सिंह अपने साथ अपने साथ अनूपगढत्र के अन्य लोगों को लेकर भूमि खरीदने हेतु आया था और अप्रार्थीगण पर भूमि बेचने का दबाव बनाया लेकिन अप्रार्थीगण ने भूमि विक्रय नहीं की जिस पर गिरीराज ने शिकायत करके तंग, परेशान करने व खातेदारी सनद जारी नहीं होने की धमकी दी और इसी धमकी को मूर्त रूप देते हुए गिरीराज दुर्भावनापूर्वक झूठी शिकायते कर रहा हैं। मा. उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 2414/2001 एवं डी.बी. सिविल स्पेशल अपील(रिट्स) नं. 685/2015 में भूमि मण्डी/नगरपालिका परिधि में या विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जरूरत के राज्य सरकार के तर्क को अस्वीकार कर दिया गया हैं। इसलिए उक्त तथ्यों के आधार पर आवंटन को चुनौति नहीं दी जा सकती है और ना ही आवंटन निरस्त जा सकता हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पति/पिता काशीराम सद्भावी काश्तकार एवं भूमिहीन काश्तकार थे और बतौर भूमिहीन भूमि आवंटन करवाने के पात्र थे। ना ही काशीराम ने झूठा शपथ पत्र देकर छल कपट से भूमि आवंटन करवाई है। काशीराम को भूमि आवंटन सही एवं विधिसम्मत हुई है, भूमि आवंटन निरस्त योग्य नहीं हैं। प्रार्थी गिरीराज का प्रार्थना पत्र पाषणीय नहीं है, प्रार्थी गिरीराज ने निराधार गलत व झूठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का निस्तारण होने से शेष हैं। उभयपक्ष अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार अनूपगढ़ का जवाब एवं प्रश्नगत भूमि की मूल आवंटन पत्रावली तलब किये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्रांक/रीडर/कोर्ट/2024/600 दिनांक 14.05.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों रिपोर्ट श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर, जिला कलक्टर श्रीगंगागनर, उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, तहसीलदार अनूपगढ़ की प्रतियां पूर्व से पत्रावली पर उपलब्ध हैं जिससे प्रश्नगत भूमि के रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट हैं, जो प्रकरण के निर्णय हेतु पर्याप्त हैं। न्यायालय की राय में मूल आवंटन पत्रावली को तलब किये जाने की आवश्यक्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी अस्वीकार किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.06.06 16:34:06 IST
Reason: SelfAttested

6. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। प्रार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित प्रश्नगत भूमि आवंटित नहीं की जा सकती थी क्योंकि उक्त रकबा मण्डी/नगरपालिका क्षेत्र की परिधि में तथा मास्टर प्लान 2023 में उक्त भूमि विभिन्न प्रयोजनार्थ यथा महाविद्यालय/व्यवसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, आवासीय के रूप में दर्शाया गया हैं। इसके अलावा

अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़

आवंटन से आज तक आवंटी काशीराम तथा काशीराम के देहान्त के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण का कब्जा भूमि पर नहीं रहा हैं ना ही भूमि पर कभी काश्त हुई हैं। अप्रार्थी के पति/पिता काशीराम द्वारा स्वयं को सद्भावी कृषक एवं भूमिहीन बताते हुए मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूमि आवंटित करवाई है जबकि काशीराम के नाम से चक 22 एम.जे.डी. हनुमानगढ़ के खाता सं. 36 में दर्ज कुल 2.530है. भूमि में से 1/5 हिस्सा यानि 0.506है. कृषि भूमि दर्ज थी जिसे उसके द्वारा दिनांक 19.04.2011 को कालूराम पुत्र बीरबलराम, जाति जाट निवासी मानूका को विक्रय कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त काशीराम के पास उसके पैतृक गांव कालवासिया, सादुलशहर में भी कुल 10 बीघा भूमि थी परन्तु काशीराम कभी कृषि कार्य नहीं कर नाई की दुकान संचालित करता था। अतः आवंटन के समय काशीराम भूमिहीन श्रेणी में नहीं था। आवंटन निरस्त योग्य हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त करते हुए भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

7. अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पति/पिता काशीराम सद्भावी काश्तकार एवं भूमिहीन काश्तकार थे और बतौर भूमिहीन भूमि आवंटन करवाने के पात्र थे। काशीराम के द्वारा किसी प्रकार का झूठा शपथ प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। मा. उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 2414/2001 एवं डी. बी. सिविल स्पेशल अपील(रिट्स) नं. 685/2015 में भूमि आवंटन को सही माना हैं। माननीय उच्च न्यायायल द्वारा राज्य सरकार के तर्क की प्रश्नगत आवंटित भूमि नगरापालिका मास्टर प्लान में किसी और प्रयोजन हेतु दर्शायी गयी हैं को अस्वीकार किया गया हैं। प्रार्थी गिरीराज द्वारा द्वेषतापूर्ण शिकायत दर्ज करवाई गयी हैं। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा श्रीमान् संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष उक्त भूमि को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर श्रीमान् संभागीय आयुक्त द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त शिकायत को निराधार मानते हुए उक्त भूमि की खातेदारी जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैं। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज योग्य हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

8. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। प्रकरण में यह तथ्य तो उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हैं कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थीगण के पति/पिता को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि अप्रार्थीगण के पति/पिता मूल आवंटी काशीराम द्वारा मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को भूमिहीन एवं सद्भावी कृषक बताते हुए भूमि आवंटन करवाई हैं। जबकि काशीराम के नाम से चक 22 एम.जे. डी. हनुमानगढ़ के खाता सं. 36 में 0.506है. कृषि भूमि थी जो काशीराम के द्वारा अन्य को विक्रय कर दी गई तथा काशीराम के पास उसके पैतृक गांव कालवासिया, सादुलशहर में भी कुल 10 बीघा भूमि थी। वह भूमिहीन नहीं था। काशीराम कृषि कार्य नहीं कर नाई की दुकान संचालित करता था। इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया गया हैं कि अप्रार्थीगण के पति/पिता सद्भावी भूमिहीन कृषक होने से आवंटन के पात्र थे। इस संबंध में राजस्थान उपनिवेशन(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत भूमिहीन कृषक को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैं, जो कि अवलोकनीय हैं :–

2(xiii) "Landless Person" means a person who,- (i) Is a resident of Rajasthan; and (ii) has been by profession a bona fide agriculturist or a bona fide agricultural labourer, having agriculture as the primary source of his income and who either does not hold any land anywhere in India or holds and less than 25 bighas, but it does not include temporary cultivation lease holder: Provided that a person holding continuously since before the 1st day of April, 1955 only barani land in a village may surrender that land in favour of Government free of cost and on acceptance of such surrender, he will also be treated as a landless person of that village 1[XXV] Provided further that a released 'Sagri' as certified by the Sub-Divisional Officer shall also be treated as landless person of that village. Explanation- For the purpose of this proviso "Sagri" means the bonded labourer as defined in the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Central Act 19 of 1976).] 3 [Provided further that the following categories of persons shall not be deemed to be landless persons, namely:- (a) an employee other than a casual or work charged employee of the Government or any commercial or industrial establishment or concern, his wife and children dependent on him. (b) a person who has sold or otherwise transferred the whole or part of the land held by, or allotted to him other than land transferred to or acquired by the Government or statutory bodies and thereby reduces the size of his holding to become landless person.]

इस प्रकार से स्पष्ट हैं कि भूमिहीन कृषक के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया गया हैं कि जिनके पास कुल 25 बीघा से कम भूमि हैं। प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.06.06 16:34:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रति.जिला कलक्टर

निवेदन किया गया हैं कि काशीराम के पास 2 बीघा भूमि हनुमानगढ़ में तथा 10 बीघा भूमि सादुलशहर तहसील में थी, जिसमें से हनुमानगढ़ की 2 बीघा भूमि उसके द्वारा विक्रय कर दी गयी थी। अप्रार्थीगण के पति/पिता को वर्ष 1981 में सर्वप्रथम भूमि का आवंटन किया गया था, परन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं जिससे प्रमाणित हो कि आवंटन के समय अप्रार्थीगण के पति/पिता मूल आंवटी काशीराम भूमिहीन श्रेणी में पात्र नहीं थे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा श्रीमान् संभागीय आयुक्त बीकानेर को पैराफेरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि का खातेदारी प्रस्तावत भिजवाने बाबत् प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक/डीआरए/खातेदारी/2022/1454 दिनांक 03.08.2022 के बिन्दू सं. 3 में श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा अंकित किया गया हैं कि "मूल आवंटन भूमिहीन पात्रता के आधार पर चक 5 एमएलके के प.नं. 12/57 का कि.नं. 1 ता 25 कुल 25 बीघा का आवंटन किया गया था, जो कि तारबन्दी में होने के कारण राज्य के आदेश दिनांक 26.07.2000 व 04.08.2000 से निरस्त कर ग्राम अनूपगढ़ ए के खसरा नं. 295/443 में 12.02 बीघा, खसरा नं. 296/444 में 2.05 बीघा व खसरा सं. 294/444 में 10.00 बीघा कुल 24.07 बीघा विशेष आवंटन से मुक्त कर आवंटन की गई है जो वर्तमान में चक 1 एमएसआर में स्थित हैं।" इसके अतिरिक्त तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को पत्रांक/टीआरए/2022/1467 दिनांक 16.12.2022 एवं प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा, कलैक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर को पत्रांक डीआरए/2022/2591 दिनांक 26.12.2022 द्वारा प्रकरण पैराफेरी/मास्टर प्लान का खातेदारी प्रस्ताव श्रीमती ओम देवी पत्नी काशीराम आदि जाति नाई साकिन कालवासिया साकिन सादुलशहर की जांच के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट में काशीराम के भूमिहीन नहीं होने बाबत् शिकायत की पुष्टि नहीं होना अंकित किया गया हैं।

9. प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष एक तथ्य यह उठाया हैं कि आवंटन से आज तक आवंटी काशीराम तथा काशीराम के देहान्त के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण का कब्जा भूमि पर नहीं रहा हैं ना ही भूमि पर कभी काश्त हुई हैं, जबकि इसके विपरीत अप्रार्थीगण ने अपना कब्जा भूमि पर होना बताया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ का श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को संबोधित पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/8437 दिनांक 01.09.2021 में अंकित किया गया हैं कि " मुताबिक तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ रिपोर्ट प.नं. 295/443 का 3.063, 296/444 का 0.569, 294/444 का 2.530 कुल 6.162है. रकबा जरिये खाता सं. 130 दिनांक 10.06.2016 द्वारा काशीराम पुत्र बिहारीलाल कौम नाई को आवंटन हुआ। नामान्तरण सं. 157 दिनांक 21.05.20 द्वारा ओम देवी पत्नी काशीराम, मनीता रानी, मांगीलाल पि. काशीराम जाति नाई सा. कालवासिया ब.हि.ब. गैर खातेदार के नाम विरासत दर्ज हुआ। मुताबिक गत गिरदावरीयों के आधार पर उक्त रकबे पर कब्जा ओम देवी पत्नी काशीराम वगैरह का आवंटन के बाद से आज दिनांक तक हैं। संलग्न गिरदावरियों के आधार पर पिछले काफी वर्षों से उक्त रकबा काश्त नहीं हो रहा है। दूसरे मुख्य कारण काश्त नहीं होने का पानी का अभाव/अ.क. रकबा हैं। उक्त रकबे पर गैर कृषि से संबंधित कोई गतिविधि नहीं हो रही हैं।" इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी दिनांक 07.08.2020 जिस पर तहसीलदार अनूपगढ़ के हस्ताक्षर भी अंकित हैं के अनुसार "रकबा स्वंय के काश्त में हैं, रकबा खाली हैं, रकबे में काश्त नहीं होती उबड़ खाबड़ व गढ़ढे हैं।" अतः इस प्रकार से स्पष्ट हैं कि भूमि पर आवंटन के रोज से लेकर आवंटी एवं उसके पश्चात अप्रार्थीगण का कब्जा निरन्तर रहा हैं।

10. प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया हैं कि प्रश्नगत भूमि नगरपालिका मास्टर प्लान में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अंकित होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकती थी। पत्रावली पर उपलब्ध मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 2414/2001 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2015 एवं डी.बी. सिविल स्पेशल अपील(रिट्स) नं. 685/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 तथा राजस्व(उपनिवेशन) मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 26[illegible] का अध्ययन किया। अप्रार्थीगण के पति/पिता को वर्ष 1981 में सर्वप्रथम भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटित भूमि वन क्षेत्र में होने के कारण आवंटन खारिज कर दिया गया तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के द्वारा पारित निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा काशीराम को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया। मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 2414/2001 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2015 एवं डी.बी. सिविल स्पेशल अपील(रिट्स) नं. 685/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2015 के द्वारा राज्य सरकार की यह प्रार्थना की आवंटित भूमि नगरपालिका सीमा की होने तथा लोक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने के आधार पर आवंटन खारिज किया जावे को अस्वीकार किया जा चुका हैं। चूंकि इस बिन्दू पर प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व से निर्णय पारित किया जा चुका हैं, इसलिए इस बिन्दू के आधार पर पुनः विचार किया जाना समीचीन नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.06.06 16:34:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़

11. प्रकरण में मूल आवंटी अप्रार्थीगण के पति/पिता काशीराम के द्वारा आवंटन नियमों का उल्लघंन किया जाना प्रतीत नहीं होता हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।
12. लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में राजकीय भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1975 अस्वीकार किया जाता हैं।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 31.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
R.A.S
अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.06.06 16:34:06 IST
Reason: SelfAttested